न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 39 / 2023(पुरानी–122 / 2020)
प्रविष्टि दिनांकः– 18.10.2023(पुरानी–19.10.2020)
निर्णय दिनांक :– 13.11.2024

::–उनवान–::

1. रमेश पुत्र मंगला जाति रावत नि0 प्रतापपुरा ग्राम खेड़ी तहसील भिनाय जिला केकड़ी

–अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार भिनाय जिला केकड़ी राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध **निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह दिनांक 09.06.2020 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति :
(1) अभिभाषक अपीलान्ट व अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
(2) तहसीलदार, भिनाय रेस्पोडेण्ट।

::–निर्णय–:: **दिनांक 13.11.2024**

1. अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भिनाय ने अपने आदेश दिनांक 09.06.2020 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 191 रकबा 2.05 हैक्टेयर किस्म चरागाह भूमि में से 0.16 है0 भूमि व खसरा नं0 249 रकबा 2.74 हैक्टर में से 0.64 है0 भूमि वाके ग्राम खेड़ी तहसील भिनाय पर अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

2. अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार के आदेश से नवगठित जिला केकड़ी में गठन उपरान्त यह पत्रावली स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

3. अपीलान्ट अभिभाषक ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा

अपीलांट को दस्तावेज पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर न तो पहले कब्जा था और न ही वर्तमान मे कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नही मंगवाई और न ही मौका निरीक्षण किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. अपीलान्ट की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है तथा अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है।

5. अपीलान्ट अभिभाषक एवं राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 191 रकबा 2.05 हैक्टेयर किस्म चरागाह भूमि में से 0.16 है0 भूमि व खसरा नं0 249 रकबा 2.74 हैक्टर में से 0.64 है0 भूमि वाके ग्राम खेड़ी तहसील भिनाय पर कब्जा, डोल/तारबंदी लगाकर व पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्रमाणित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6. फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भिनाय का निर्णय दिनांक 09.06.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

13/11/24

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर,
केकड़ी

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी